

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हरदाक्षिण जंघा

गाम्बर म दाक्षिण
अहमम जो इस
हुक्म को बालीम में
जासे हुये

लोकेन्द्र सिंह वगैरे बनाम रणजीतसिंह चर्मा रणवीरसिंह वगैरे
दावा बाबत उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरुस्तती
मुकदमा नं. 362/2012

आदेश

अतः वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर इस शर्त पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीगाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 3847, 3859 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.93 हैक्टर में दर्ज खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 रणवीरसिंह पुत्र पीरदानसिंह व प्रतिवादी सं. 2 रघुवीरसिंह पुत्र मंगेजसिंह व मृत्तक उमरावसिंह पुत्र उगमसिंह का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही खातेदारी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज की जावें तथा भूमि खसरा नम्बर 1881, 1987, 3861 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 5.88 हैक्टर में दर्ज खातेदारी से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 रणवीरसिंह पुत्र पीरदानसिंह व प्रतिवादी सं. 2 रघुवीरसिंह पुत्र मंगेजसिंह व तरतीबी प्रतिवादी का नाम हजफ करते हुए उसके स्थान पर सही खातेदारी 1/2 हिस्सा की वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी व 1/2 हिस्सा की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की जावें तथा खसरा नम्बर 3885, 3886, 3887, 3890 लगायत 3901 कुल कित्ता 15 कुल रकबा 3.39 हैक्टर में दर्ज 1/4 हिस्सा की खातेदारी से मृत्तक मंगेजसिंह पुत्र उगमसिंह, मु. तोफ कंवर बैवा परिदानसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रणजीतसिंह, रघुवीर सिंह पुत्रगण पीरदानसिंह व मृत्तक अनोप कंवर बैवा अम्बासिंह व वादीगण के पिता मृत्तक मनोहर सिंह व तरतीबी प्रतिवादी का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही खातेदारी हिस्सा 1/8 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी व हिस्सा 1/8 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की जावें तथा खसरा नम्बर 3857, 3858, 3865 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टर में दर्ज खातेदारी से रणजीतसिंह, उगमसिंह पिता पीरदानसिंह का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही खातेदारी हिस्सा 1/2 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी व हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की जावें तथा खसरा नम्बर 3848 रकबा 0.90 हैक्टर में दर्ज खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 2 रघुवीरसिंह पुत्र मंगेजसिंह का नाम हजफ किया जाकर सही खातेदारी हिस्सा 1/2 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी व हिस्सा 1/2 प्रतिवादी





तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु इलाखर जज लोकेन्द्र सिंह वगै० बनाम् रणजीतसिंह उर्फ रणवीरसिंह वगै० दावा बाबत उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरुस्ती मुकदमा नं. 362/2012
	<p>संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती हैं। उक्त घोषित रकबा की वर्तमान प्रचलित डी०एल०सी० दरों पर स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)</p>